"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2006—श्रावण 27, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-06/2005/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/47/2001-एआईएस (I), [illegible] जून 2002 एवं दिनांक 13-7-200[illegible] द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री शान्तनु, भा. प्र. से. (MT:1997) की सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. अत: श्री शान्तनु, भा.प्र.से. की सेवायें प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर उनके पैतृक संवर्ग (मणिपुर-त्रिपुरा शासन) को तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से. (1971) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री व्ही. के. कपूर, भा.प्र.से. (1972) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

5. श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, संस्कृति विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री बी. पी. एस. नेताम, भा.प्र.से. (1996) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री टी. एस. महावर, रा. प्र. से. उप सचिव, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक पार्ट एफ 2-4/2006/1-8/स्था.—श्री एस. व्ही. दाण्डेकर, (रा. प्र. से.), अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2006

क्रमांक 742/635/2006/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 599-600/533/2006/1-8/स्था., दिनांक 15-6-2006 द्वारा श्री आर. जे. साहू, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 24-6-2006 तक 13 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 25-6-2006 से 1-7-2006 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4-आदेश दिनांक 15-6-2006 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक 794/662/2006/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 4-8-2006 से 8-8-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

फा. क्र. 10686/डी-1816/21-ब/छ.ग./2006.—राज्य शासन, औद्योगिक न्यायालय, रायपुर छ. ग. के समक्ष राज्य शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु श्रीमती आशा माहिलकर, अधिवक्ता, रायपुर को आदेश जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिये पेनल अधिवक्ता नियुक्त करता है.

किसी पक्ष द्वारा एक माह की सूचना पत्र देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

औद्योगिक न्यायालय/अधिकरण के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु नियुक्ति होने वाले पेनल अधिवक्ताओं को म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)108/93/21-ब/दो दिनांक 28-9-1999 के अनुसार फीस देय होगी. उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 1-111/31/स्था./ज.सं.वि./2006.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यपालन अभियंता (सिविल) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतनमान रुपये 12000-375-16,500/- में पदोन्नत करते हुये, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पद (2)	वरिष्ठता क्र. (3)	पदोन्नत कर जहां पदस्थ किया जाना है स्थान (4)
1.	श्री जी. के. श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता.	07	परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट परियोजना, रायपुर.
2.	श्री पी. सी. चोपड़ा, कार्यपालन अभियंता.	08	अधीक्षण अभियंता, हसदेव परि. मण्डल, रामपुर, कोरबा.
3.	श्री अत्ता हुसैन, कार्यपालन अभियंता.	09	अधीक्षण अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, को यथावत्.
4.	श्री टी. के. शाह, कार्यपालन अभियंता.	10	अधीक्षण अभियंता, मि. मा. बांगो बांध मंडल खरसिया.
5.	श्री शंकर लाल चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता.	14	अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर
6.	श्री प्रदीपकुमार दुबे, कार्यपालन अभियंता.	15	अधीक्षण अभियंता (रूपा.), मि. मा. बांगो परियोजना, बिलासपुर.
7.	श्री प्रसन्न कुमार अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता.	16	अधीक्षण अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध मण्डल, रूद्री.
8.	श्री यू. पी. चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता.	17	अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अंबिकापुर.
9.	श्री हबीब उल्ला खान, कार्यपालन अभियंता.	18	अधीक्षण अभियंता (ब्रोधी), कार्या. प्रमुख अभियंता, रायपुर.
10.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, कार्यपालन अभियंता.	19	अधीक्षण अभियंता (रूपा.), कार्यालय मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, रायपुर.
11.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता.	20	अधीक्षण अभियंता, मि. मा. बांगो नहर मंडल क्रमांक-2 जांजगीर. (वर्तमान-जल संसाधन मंडल, बिलासपुर).

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-1-111/31/स्था./ज.स.वि./2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री ए. के. पलन्दी, अधीक्षण अभियंता (सिविल) को स्थानापन्न मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रुपये 16400-450-20000/- में पदोन्नत करते हुये, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. श्री ए. के. पलन्दी अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, संचिव, छ.ग. सिंचाई परियोजना मण्डल, रायपुर का कार्यभार भी संपादित करेंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2006

क्रमांक एफ 8-6/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा के बायलर क्रमांक-एम.पी./4461 को दिनांक 25-7-2006 से 24-10-2006 तक तथा बायलर क्रमांक सी.जी./42 को दिनांक 11-8-2006 से 10-11-2006 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

क्रमांक एफ-2-27/02/एम.—जिला जशपुरनगर के अंतर्गत गोल्ड, बेस-मेटल्स एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स ज्यो मैसूर सर्विस प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-09-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 27-11-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत त्याग (Relinquish) किये गये कुल 737.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाबत छत्तीसगढ़ के राजपत्र, दिनांक 26 मई 2006 में समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19-4-2006 प्रकाशित हुई है, जिसमे हुई त्रुटि का संशोधन आदेश जारी किया गया है.

3. अनुबंध निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) के तहत कंपनी द्वारा कार्य हेतु रखा शेष 737.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भी खाली हो गया है.

4. खाली हुए क्षेत्र के अक्षांश-देशांश अनुसूची-एक में उल्लिखित है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 N का भाग)

S. No.	Point	Longitudes	Latitudes	S. No.	Point	Longitudes	Latitudes
1.	D	83°41'39.71"	22°37'46.99"	12.	O	83°56'32.43"	22°24'21.48"
2.	E	83°41'26.83"	22°30'31.24"	13.	P	83°56'34.12"	22°25'41.17"
3.	F	83°43'21.44"	22°30'27.65"	14.	Q	83°57'18.32"	22°25'40.8"
4.	G	83°44'07.49"	22°30'10.13"	15.	R	83°58'08.46"	22°24'19.72"
5.	H	83°43'56.38"	22°27'17.26"	16.	S	83°58'11.94"	22°29'47.7"
6.	I	83°37'29.2"	22°27'18.79"	17.	J1	83°52'43.32"	22°29'50.01"
7.	J	83°37'39.97"	22°23'01.82"	18.	K1	83°52'43.74"	22°31'56.15"
8.	K	83°45'40.1"	22°22'53.82"	19.	I1	83°56'42.39"	22°31'54.67"
9.	L	83°45'41.27"	22°23'53.07"	20.	F1	83°56'45.57"	22°39'16.46"
10.	M	83°55'04.06"	22°23'43.18"	21.	L1	83°46'30.25"	22°39'14.66"
11.	N	83°55'04.92"	22°24'23.07"	22.	M1	83°46'31.4"	22°37'42.02"

3. अनुसूची-एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अंतर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ-2-27/02/एम.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13 अप्रैल 2006 जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र, दिनांक 26 मई 2006 (भाग-1) के पृष्ठ क्र. 949 एवं 950 में हुआ है, के पृष्ठ क्र. 950 के पैरा क्र. 2 में अनुसूची-एक, ब्लॉक-1 की तालिका के स.क्र. 17 से 31 (बिन्दु Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. A1. B1. C1. D1 एवं E1) के समक्ष दर्शाये गये अक्षांश के स्थान पर निम्नानुसार अक्षांश पढ़े जावें.

स.क्र.	बिन्दु	अक्षांश
17.	Q	22°25'40.80"
18.	R	22°24'19.72"
19.	S	22°29'47.7"
20.	T	22°29'46.91"
21.	U	22°22'14.53"
22.	V	22°21'27.01"
23.	W	22°21'20.51"
24.	X	22°17'24.85"
25.	Y	22°17'35.96"
26.	Z	22°21'23.14"
27.	A1	22°21'23.21"
28.	B1	22°29'3.30"
29.	C1	22°29'6.44"
30.	D1	22°32'59.74"
31.	E1	22°32'54.42"

शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक-क-भू-अर्जन/15 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	मोटियारीडीह प. ह. नं. 7	1.755	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र.-3, तिल्दा.	मोटियारीडीह सब माइनर नहर निर्माण हेतु

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 22 अ-82, वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	झिरिया प. ह. नं. 17	12.14	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	भाटापारा शाखा नहर के झिरिया वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 9/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंधियारखोह	20.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	से[illegible] जलाशय शीर्ष कार्य (डुबान क्षेत्र)

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 14/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नेवसा	13.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलशय की गोरख-पुर एवं अमरैया टोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 17/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गोरखपुर	7.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय गोरखपुर शाखा नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

क्रमांक 18/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंजनी	14.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मड़ना एवं गोरखपुर लघु नहर

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 20/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	झगराखांड़	5.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	अमहापारा माइनर एवं कन्हारी सब माइनर.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 21/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	तेन्दुमूड़ा	5.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की कन्हारी सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 05/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सोल्हाबेल्हा	0.38	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर शहर के बाइपास मार्ग पर पड़ने वाले मनियारी पुल के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2006

रा. प्र. क्र. 02/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	चंद्रगढ़ी	2.05	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	जगतकापा चंद्रगढ़ी मार्ग में आगर नदी पुल के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बायंग प. ह. नं. 5	0.753	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	कछार बायंग मार्ग के कि.मी. 1/8 पर मांड सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कछार प. ह. नं. 4	0.606	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	कछार बायंग मार्ग के कि.मी. 1/8 पर मांड सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पंडरीपानी प. ह. नं. 19	0.987	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जुर्डा प. ह. नं. 19	0.126	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पंडरीपानी जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 2/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कोरजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
59/30	1.17
59/29	0.91
योग 2	2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गांगपुर जलाशय स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 8/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पकरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.23 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	151/10	2.41
	146	0.82
योग	2	3.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 17/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
232/1 ख	0.22
230/2	0.25
229, 230/1	0.74
222/2, 223/9	0.17
222/8/223/8	0.25
202/1	0.06
149/1	0.23
149/5	0.16
149/7	0.21
201/1 म	0.34
201/1 य	0.23
332/5	0.13
858, 859/4	0.25
201/1 त	0.27
596/1	0.05
773/1 ड	0.21
762/7	0.34
762/10	0.36
494	0.06
804, 805/1	0.29
555, 556	0.11
543/2	0.20
545/2	0.17
467/2, 467/3	0.47
805/2	0.23
469, 470	0.30
473	0.16
479/2	0.13
479/1	0.13
478	0.06
480, 481/1	0.32
773/2	0.09
482/1	0.12
486/1 क	0.18
487	0.11
810	0.19
809/1	0.19
809/2	0.19
773/1 ज	0.14
773/1 ग	0.17

	(1)	(2)
	773/1 झ	0.13
योग	41	8.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय योजना के पतरकोनी शाखा नहर, स्केप चैनल, देवरगांव उपशाखा नहर, गौरेला शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2006

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मझरेटा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	109/1	0.081
	109/2	0.061
	110	0.174
योग	3	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मंझरेटा-मुण्डा मार्ग पर आगर नदी सेतु पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2006

क्रमांक 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलसरी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1221	0.30
	1219, 1220	0.15
योग	2	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तखतपुर मुंगेली बायपास मार्ग पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2006

क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-तखतपुर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	766	0.20
	768	0.22
	765/1, 765/3	0.18
योग	03	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तखतपुर भथरी मार्ग के कि. मी. 1/8 पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त 2006

क्रमांक 19/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-तखतपुर

(ग) नगर/ग्राम-निरतू, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1567/1	0.12
	1567/2	0.06
योग	2	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मंगला कोनी मार्ग के 1/2 कि. मी. पर अरपा सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/1	0.028
9/2	0.040
9/3	0.004
9/4	0.020
9/5	0.008

	(1)	(2)
	13/1	0.049
	37	0.113
	41	0.437
	42/1	0.316
	42/2	0.125
	43	0.081
	45	0.142
	27/1	0.053
	30	0.008
	31/4	0.036
योग	15	2.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोतासुरा जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	291/2 क 1	0.183
	292/4 क 1	0.008
	301/2 क	0.024
	303/2 क	0.025
	291/2 क 2	0.079
	292/4 क 2	0.008
	301/2 ख	0.025
	303/2 ख	0.024
योग	8	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी जलाशय (पुराना) हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-12/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.878 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10, 13	0.878
योग	2	0.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोकरामुड़ा जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर चालन इंजीनियर्स परीक्षक मंडल छ. ग., रायपुर

बायलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा माह जून-2006

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2006

सफल परीक्षार्थियों की सूची

क्र. मुनिवा/3142/2006.—सूचित किया जाता है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बायलर चालन इंजीनियर परीक्षा दिनांक 22, 23 एवं 24 जून 2006 को मेसर्स एन. टी. पी. सी. लि., कोरबा जिला कोरबा में आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण किये गये उम्मीदवारों की सूची —

स.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पिता का नाम (3)
1.	श्री अरूप राय	श्री ए. के. राय
2.	श्री हरीश काला	श्री जी. आर. काला
3.	श्री आशीष जैन	श्री पी. के. जैन
4.	श्री महेश चन्द्र सोनी	श्री मूल चन्द्र सोनी
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	स्व. श्री एस. पी. तिवारी
6.	श्री शशांक कुमार रैच	श्री चन्द्रकांत जगन्नाथ रैच
7.	श्री पंकज कुमार जेठा	श्री शिव नारायण जेठा
8.	श्री रवि देशमुख	श्री दिगम्बर देखमुख
9.	श्री संतोष राव धुर्वे	श्री आर. आर. धुर्वे
10.	श्री सुदिप्त सेनगुप्ता	स्व. श्री एस. एन. गुप्ता
11.	श्री कुलदीप सिंह ठाकुर	श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर
12.	श्री संजय अग्रवाल	श्री ब्री. के. अग्रवाल
13.	श्री हितेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	श्री दशवंत लाल सूर्यवंशी
14.	श्री मनोज मिश्रा	स्व. श्री शालिगराम मिश्रा
15.	श्री मोहन कुमार चतुर्वेदी	श्री बी. डी. चतुर्वेदी
16.	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री बैजनाथ प्रसाद शर्मा
17.	श्री अवनीश कुमार जैन	श्री रमेश चन्द्र जैन
18.	श्री मनोज कुमार शाह	श्री शशिकांत शाह
19.	श्री अमितवा पात्रा	श्री रंजीत कुमार पात्रा
20.	श्री चन्द्रशेखर वर्मा	श्री विद्याधर वर्मा
21.	श्री जसमेर सिंह	श्री बलकार सिंह
22.	श्री संजीव कुमार नाथ	श्री रिशिकेश नाथ
23	श्री संजय शर्मा	श्री आर. एस. शर्मा
24.	श्री जूपिन्दर पाल सिंह	श्री जतिन्दर सिंह
25.	श्री धन कुमार खांडेकर	श्री दयाराम खांडेकर
26.	श्री लकीर एच. भट्ट	स्व. श्री हरीश एम. भट्ट

(1)	(2)	(3)
27.	श्री बिसवाजीत राय	श्री सुभाष कुमार राय
28.	श्री अतुल एच. बिजवे	श्री एच. बी. बिजवे
29.	श्री विनोद गेधर	श्री दिनकर राव गेधर
30.	श्री रामेश्वर साहू	श्री बलराम साहू
31.	श्री गुंजन शुक्ला	डॉ. शशि शुक्ला
32.	श्री शांतनु भौमिक	श्री एस. के. भौमिक
33.	श्री पंकज कुमार सिंह	श्री गोरखनाथ सिंह
34.	श्री मुजीब अहमद	श्री शेख अब्दुल जब्बार
35.	श्री दीपक साहेब गुप्ता	श्री अरूण साहेब गुप्ता
36.	श्री दिनेश सिंह लोधी	श्री माधव सिंह लोधी
37.	श्री दीपक कुमार हिशीकर	श्री विनोद हिशीकर

Raipur, the 2nd August 2006

Sl. No. (1)	Name of Candidate (2)	Father's Name (3)
1.	Shri Arup Roy	Shri A. K. Roy
2.	Shri Harish Kala	Shri G. R. Kala
3.	Shri Ashish Jain	Shri P. K. Jain
4.	Shri Mahesh Chandra Soni	Shri Mool Chandra Soni
5.	Shri Rajendra Prasad Tiwari	Late Shri S. P. Tiwari
6.	Shri Shashank Kumar Raich	Shri C. J. Raich
7.	Shri Pankaj Kumar Jetha	Shri Shiv Narian Jetha
8.	Shri Ravi Deshmukh	Shri Digamber Deshmukh
9.	Shri Santosh Rao Dhurve	Shri R. R. Dhurve
10.	Shri Sudipta Sengupta	Late Shri A. Sengupta
11.	Shri Kuldeep Singh Thakur	Shri Laxman Singh Thakur
12.	Shri Sanjay Agrawal	Shri B. K. Agrawal
13.	Shri Hitendra Kumar Suryawanshi	Shri Dashwant Lal Suryawanshi
14.	Shri Manoj Mishra	Late Shri Shaligram Mishra
15.	Shri Mohan Kumar Chaturvedi	Shri B. D. Chaturvedi
16.	Shri Ajay Kumar Sharma	Shri Baijnath Prasad Sharma
17.	Shri Avneesh Kumar Jain	Shri Ramesh Chandra Jain
18.	Shri Manoj Kumar Shah	Shri Shashi Kant Shah
19.	Shri Amitva Patra	Shri Ranjeet Kr. Patra
20.	Shri Chandrashekhar Verma	Shri Vidyadhar Verma
21.	Shri Jasmer Singh	Shri Balkar Singh
22.	Shri Sanjib Kumar Nath	Shri Rishikesh Nath
23.	Shri Sanjay Sharma	Shri R. S. Sharma
24.	Shri Jupinder Pal Singh	Shri Jatinder Singh
25.	Shri Dhan Kumar Khandekar	Shri Dayaram Khandekar
26.	Shri Lakir H. Bhat	Late Shri Harish M. Bhat
27.	Shri Biswajeet Roy	Shri Subhash Kumar Roy
28.	Shri Atul H. Bijwe	Shri H. B. Bijwe
29.	Shri Vinod Gaydhar	Shri Dinkar Rao Gaydhar
30.	Shri Rameshwar Sahu	Shri Balram Sahu

(1)	(2)	(3)
31.	Shri Gunjan Shukla	Dr. Shashi Shukla
32.	Shri Santhanu Bhowmick	Shri S. K. Bhowmick
33.	Shri Pankaj Kumar Singh	Shri Gorakhath Singh
34.	Shri Mujeeb Ahmad	Shri Sheikh Abdul Jabbar
35.	Shri Deepak Saheb Gupta	Shri Arun Saheb Gupta
36.	Shri Dinesh Singh Lodhi	Shri Madhav Singh Lodhi
37.	Shri Deepak Kumar Hishikar	Shri Vinod Hishikar.

अविनाश भटनागर,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th August 2006

No. 4008/J. O. T. I./2006/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers, Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 21-08-2006 in the afternoon and before 5.00 P. M. for undergoing the Second Part of Institutional Training Programme to be held from 22nd August 2006 to 20th September 2006.

TABLE

Sl.No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Nidhi Sharma	II Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
2.	Smt. Mamta Shukla	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh.
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.)	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
4.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
5.	Shri Pankaj Kumar Sharma	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Korba.
6.	Shri Deepak Kumar Gupta	I Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Shri Sunil Kumar Nande	II Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur	III Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
9.	Shri Avinash Tiwari	IV Civil Judge Class-II, Raipur
10.	Smt. Mamta Patel	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
11.	Shri Prashant Kumar Shivhare	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
12.	Shri Ajay Singh Rajput	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Heemanshu Jain	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Raipur.
14.	Shri Anish Dubey	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.
15.	Shri Satyendra Kumar Mishra	I Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Shahabuddin Qureshi	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kawardha.
17.	Shri Rakesh Kumar Verma	VII Civil Judge Class-II, Raipur
18.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.)	VII Civil Judge Class-II. Bilaspur
19.	Shri Aditya Joshi	IX Civil Judge Class-II, Raipur
20.	Shri Ashish Pathak	II Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II. Korba.
21.	Smt. Kiran Rathi	III Civil Judge Class-II. Raigarh
22.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Raigarh.
23.	Ku. Pallavi Parashar	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Bilaspur.
24.	Ku. Neeru Singh	II Civil Judge Class-II, Durg
25.	Smt. Urmila Gupta	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Ambikapur.
26.	Shri Balaram Sahu	XI Civil Judge Class-II. Raipur
27.	Shri Dilesh Kumar Yadav	I Civil Judge Class-II. Ambikapur
28.	Shri Atul Kumar Shrivastava	VIII Civil Judge Class-II. Bilaspur
29.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	III Civil Judge Class-II, Durg
30.	Shri Anand Prakash Wariyal	VI Civil Judge Class-II. Raipur

(1)	(2)	(3)
31.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan	I Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II. Rajnandgaon.
32.	Shri Siddharth Aggrawal	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Ambikapur.
33.	Shri Chandra Kumar Kashyap	IV Civil Judge Class-II. Durg
34.	Shri Shrikant Shrivas	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
35.	Shri Vivek Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Dantewara
36.	Smt. Priya Rao	XII Civil Judge Class-II. Raipur
37.	Shri Vijay Kumar Sahu	Civil Judge Class-II, Jashpur
38.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
39.	Ku. Pooja Mehar	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
40.	Shri Leeladharsai Yadaw	V Civil Judge Class-II. Ambikapur
41.	Shri Madhusudhan Chandrakar	V Civil Judge Class-II, Durg
42.	Ku. Pratibha Verma	I Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II. Durg.
43.	Shri Kamlesh Jagdalla	VII Civil Judge Class-II. Durg
44.	Shri Venseslas Toppo	IV Civil Judge Class-II. Jagdalpur
45.	Shri Prabhakar Gwal	VIII Civil Judge Class-II. Durg

The above mentioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

A- Code of Civil Procedure
B- Code of Criminal Procedure
C- Evidence Act
D- Limitation Act
E- Indian Penal Code
F- Rules & Orders-Civil & Criminal
G- Stamp & Court Fees Act
H- Arms Act
I- C. G. Excise Act
J- Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of the High Court.
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.